



Neutral Citation No. -2026: AHC:125493

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19467/2026

किरनपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: सर्वे नज़ीर, ज़फ़र अब्बास

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से श्री अनस खान, अधिवक्ता जो श्री ज़फ़र अब्बास के संक्षिप्त निर्देश पर उपस्थित हुए, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 140/2026, अंतर्गत धारा 64, 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना-डिडौली, जनपद-अमरोहा में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता का धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज कथन, जिसमें बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया गया है, पूर्णतः असत्य एवं गलत है तथा पीड़िता की आयु 17 वर्ष है, अतः, आवेदक के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। यह भी कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में चार दिन का विलम्ब हुआ है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है कि कथित बलात्कार के समय उसने कोई शोर-शराबा नहीं किया तथा ऐसी कोई चिकित्सीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि उसके साथ कोई बल प्रयोग या हिंसा की गई थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



15.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। आगे यह भी कहा गया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः, अब अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. वहीं दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा कहा कि पीड़िता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है, लेकिन वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में चार दिन का विलम्ब हुआ है तथा पीड़िता के गुप्तांग पर किसी प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं पाया गया।

5. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचारोपरांत तथा अपराध की प्रकृति तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विलम्ब से दर्ज एफ.आई.आर. का कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है; पीड़िता के गुप्तांग पर किसी प्रकार की चोट का कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है; साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की अधिकता एवं कारागारों में अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित विधिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **किरणपाल** को उसके द्वारा न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदक बिना स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के प्रतिज्ञा-पत्र के साथ सत्यापित किया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।
10. विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु रिहाई आदेश को जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करे।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।**

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

04 जून, 2026